प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 11 जुलाई, 2016**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विश्वविद्यालय के अंतर्गत 500 बेडेड सुपरस्पेशिलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-277/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/2016-17 दिनांक 01-7-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा परिसर में 500 बेडेड सुपरस्पेशिलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14-8-2014 द्वारा रू0 333.5643 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 111.9862 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी हैः-

शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि
2839/71-2-14-एस-20/2013 दिनांक 14-8-2014	15.0000
6/3521/71-2-14-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 20 नवम्बर, 2014	3.1500
26/2015/926/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 17 मार्च, 2015	9.9351
33/2015/1090/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 25 मार्च, 2015	2.0864
90/2015/3758/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02 नवम्बर, 2015	63.2000
91/2015/3983/71-2-15-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 02 नवम्बर, 2015	13.2700
51/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च, 2016	4.4171
52/2016/1131/71-2-16-एस-20/2013 टी0सी0 दिनांक 30 मार्च, 2016	0.9276
योग-	**111.9862**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष् 2016-17 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा परिसर में 500 बेडेड सुपरस्पेशिलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु रू0 124,00,00,000/- (रूपया एक सौ चौबीस करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/वि0वि0 की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-94/2016/2731(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, इटावा ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।